

क्रमांक:-प-19(3)सैकवि/98/ 8738-63

दिनांक:- 25/07/2020

-: कार्यालय आदेश :-

अमलगमेटेड फन्ड फोर दी बेनीफिट्स ऑफ एक्स-सर्विसमेन की 30वीं प्रबन्धकारिणी समिति की दिनांक 23 जनवरी 2020 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार फन्ड से पूर्व सैनिकों/विधवाओं/आश्रितों जो सामाजिक/पारिवारिक/प्राकृतिक कारणों से आर्थिक संकट का सामना कर रहे हो, को वर्तमान में एकमुश्त 18000/-रुपये आर्थिक सहायता राशि को निम्नानुसार वृद्धि किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती हैं :-

1. अध्यक्ष, अमलगमेटेड फन्ड - रु 30000/-मात्र
2. अध्यक्ष, उपसमिति अमलगमेटेड फन्ड - रु 30000/-मात्र
3. निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग - रु 1000/-मात्र

यह आदेश 01 जुलाई, 2020 से लागू माना जायेगा।

(ब्रिगेडियर (से.नि.) करण सिंह राठौड़)
निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग
राज., जयपुर

प्रतिलिपी:-

- 1-जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (समस्त)
- 2-संबंधित लिपिक
- 3-लेखाकार फन्ड

निदेशक

सैनिक कल्याण विभाग, कमरा नं. 7225, खाद्य भवन, द्वितीय मंजिल, सचिवालय, जयपुर 302005

Email - rajasthan.sainik@rajasthan.gov.in

☎ - 0141-2227650, 0141-2227897